

# झारखण्ड विधान सभा

## ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा  
पंचम-सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 19.02.2016 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

| क्र०सं० | सदस्य का नाम                     | विषय  | विभाग   |
|---------|----------------------------------|---|---|
| 01.     | 02.                              | 03.   | 04.   |
| 01-     | श्री केदार हजरा<br>स०वि०स०       | <p>गिरिडीह जिलान्तर्गत जमुआ प्रखण्ड के सभी पंचायतों में स्वास्थ्य की उचित सुविधा नहीं है जिसके कारण सरकार के द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य मिशन योजना प्रभावित हो रहा है।</p> <p>अतः मैं आपके माध्यम से जमुआ प्रखण्ड के हर पंचायत में एक स्वास्थ्य उपकरण खोलने हेतु सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ।</p>  | स्वास्थ्य<br>विकित्सा<br>शिक्षा एवं<br>परिवार<br>कल्याण |
| 02-     | श्री बिरंची<br>नारायण<br>स०वि०स० | <p>झारखण्ड एक नया और विकासशील राज्य है, जहाँ सरकार द्वारा जनहित में नित्य नये सकारात्मक पहल किये जा रहे हैं। आज प्रत्येक जिला मुख्यालय में आबादी लगातार बढ़ती जा रही है एवं इस बढ़ती आबादी से प्रशासन को विधि व्यवस्था को नियंत्रित करना कठिन होता जा रही है। मैं राज्यहित में सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना चाहता हूँ कि राज्य के सभी जिला मुख्यालय एवं शहर-गाँव के महत्वपूर्ण जगहों, चौक-चौराहों पर सरकार CCTV कैमरा लगावे, जिसके कई फायदे होंगे जैसे अपराध नियंत्रण एवं अनुसंधान में पुलिस प्रशासन को मदद होगी, किसी संदिग्ध दियति की जानकारी प्रशासन को तुरंत संभव हो सकेगी तथा चौक-चौराहों पर ड्रैफिक पुलिस द्वारा अवैध वसूली की बराबर प्राप्त होनेवाली शिकायतों पर लगाम लगेगा, जिससे अपराध नियंत्रण के साथ ही भष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा।</p> <p>अतएव राज्य के सभी जिला मुख्यालय एवं शहर-गाँव के महत्वपूर्ण जगहों, चौक-चौराहों पर CCTV कैमरा लगावाने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ।</p> | गृह,कारा<br>एवं<br>आपदा<br>प्रबंधन                      |

क०प०३०

| 01. | 02.  | 03.  | 04.                                 |
|-----|--|--|-------------------------------------|
| 03- | सर्वश्री आलोक कुमार चौरसिया, रामचन्द्र सहिस एवं श्री शिवशंकर उराँव स०वि०स० | <p>पलामू जिला के मेदिनीनगर के शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीणों क्षेत्रों में पेयजल संकट गर्मी आगे से पहले ही गहराने लगी है नदी, नाला तथा चापानलों का पानी सुख गये हैं तथा सुख रहे हैं। लोग दूर-दूर से पानी लाकर अपने रोजमर्टा के जीवन व्यतित करने पर मजबूर हैं। यदि समय रहते सरकार इन क्षेत्रों में पानी की समस्या का निदान करने हेतु ठोस रणनीति नहीं बनायी तो लोग पानी के लिए बुंद-बुंद को तरसेंगे।</p> <p>अतः पलामू जिले में उत्पन्न हो रहे पेयजल संकट को देखते हुए आम जनता के हित में जलापूर्ति कराने तथा विशेष पैकेज के लिए मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूँ।</p>  | पेयजल एवं स्वच्छता                  |
| 04- | श्री जय प्रकाश वर्मा स०वि०स०   | <p>सरकार ने गरीब गुरबों, मजदूर, किसानों के प्रति भावान बच्चों को आधुनिक शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से देने के उद्देश्य से झारखण्ड में सन्- 2011 में ४९ मॉडल विद्यालयों की स्थापना की थी। दुर्भागवश गरीबों के बच्चों को गुणात्मक शिक्षा के अवसर प्रदान करने हेतु खोले गये मॉडल विद्यालय सुविधाओं से वंचित हैं। करोड़ों की लागत से विद्यालय भवन का भी निर्माण कराया गया पर इन विद्यालयों में किसी भी प्रकार की सुविधाएँ जैसे- पुस्तक, पोशाक, मध्यान भोजन, उपस्कर, सार्फिल इत्यादि प्रदान नहीं किया जाता है। बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा रहे शिक्षकों को मात्र १२० रु० प्रति घंटी दिया जाता है जो बहुत ही कम है। शिक्षकों के अभाव में सरकारी विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों को मॉडल विद्यालय के लिए प्रतिनियुक्त कर दिया जाता है, ये शिक्षक अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने में अक्षम होते हैं। सरकार की स्पष्ट मंशा थी कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान छात्रों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान किये जाए।</p> <p>अतः राज्य में चल रहे ४९ मॉडल विद्यालयों के बच्चों को समूचित शिक्षा प्रदान करने हेतु रिक्त पड़े शिक्षक के पदों को शीघ्रताशीघ्र भरा जाए एवं कार्यरत शिक्षकों को रथाई वेतनमान प्रदान किये जाय ताकि सरकार गरीबों के विकास के प्रति अपनी वचन बद्धता को सही मायने में सथापित करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करता हूँ।</p> | स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता          |
| 05- | श्री प्रदीप यादव एवं श्री प्रकाश राम स०वि०स०                               | <p>झारखण्ड में कार्मिक विभाग के असाधारण अंक में प्रकाशित गजट की अधिसूचना संख्या- २९१, दिनांक- २३/०४/२०१५ द्वारा झारखण्ड प्रशासनिक सेवा की नियमावली अधिसूचित है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या- ६४७२, दिनांक- २१/०७/१५ द्वारा झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के कुल १५१७ पदों का</p>   | कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा |

| 01.                                | 02.   | 03. | 04. |
|------------------------------------|---|-----|-----|
| प्रभारी सचिव<br>मंत्री<br>राज्यपाल | सूजन एवं कर्णाकण किया गया है जिसमें संयुक्त सचिव स्तर के 120 पद हैं जिसके अन्तर्गत उप विकास आयुक्त के 18 पद कर्णाकित हैं। नियमावली की कंडिका-8 के अनुसार इस सेवा के संवर्ग की संख्या एवं संरचना का निर्धारण कार्मिक विभाग द्वारा किया जाना है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मन्त्रिपरिषद् से इस आशय के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त की गई है कि झा०प्र०स० के उप विकास आयुक्त के 18 पदों को घटा कर 12 कर दिया जाय एवं उन 6 पदों को भारतीय बन सेवा से प्रतिनियुक्ति अथवा डेवलपमेंट प्रोफेशनल से संविदा के आधार पर नियुक्ति की जाय। कार्मिक विभाग के उक्त नियमावली एवं पद सूजन से सम्बन्धित अधिसूचना के प्रतिकूल हैं। उपरोक्त बिन्दुओं पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ। |     |     |

राँची,  
दिनांक- 19 फरवरी, 2016 ई०।

झाप सं०-ध्या०प्र० एवं अना०प्र०-०१/२०१६-..... 1230 वि० स०, राँची, दिनांक- 18/02/16  
प्रति:- झारखण्ड विधान सभा के मा०सदस्यगण/ मा०मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा० राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/ स्वारथ्य विकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग/ गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/स्वचूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एवं कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

बिनय कुमार सिंह  
प्रभारी सचिव,  
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

नीलेश रंजन  
18/02/16  
(नीलेश रंजन)

अवर सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची। 1230

झाप सं०-ध्या०प्र० एवं अना०प्र०-०१/२०१६-..... 1230 वि० स०, राँची, दिनांक- 18/02/16  
प्रति:- आप्त सचिव, अध्यक्ष महोदय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा० अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन  
18/02/16  
अवर सचिव,  
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष